

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS)

परिचय

राज्य में उपलब्ध जल की कमी तथा सिंचाई दक्षता के मध्यनजर कृषि/उद्यान विभाग द्वारा किसी न किसी केन्द्रीय/राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 से फव्वारा व ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जहां तक फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम को राज्य के कृषकों द्वारा अपनाये जाने का प्रश्न है, राज्य के किसानों द्वारा अत्यधिक रुचि दिखाई गई है। फव्वारा सिंचाई तकनीक द्वारा जल बचत के अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक, आर्थिक-सामाजिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां प्रबल रूप से सहायक रही हैं। वास्तविक रूप से इसके परिणाम आकर्षित करने वाले रहे व इसी आधार पर सम्पूर्ण देश में राजस्थान राज्य फव्वारा तकनीक के तहत सिंचित क्षेत्र दृष्टि से प्रथम स्थान पर है।

बूंद-बूंद सिंचाई के अनेकानेक फायदे होने के बावजूद इसके प्रगति परिणाम तुलनात्मक दृष्टिकोण से वांछित नहीं रहे हैं। अन्य राज्यों जैसे- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में बूंद-बूंद संयंत्र स्थापन क्षेत्र की बजाय राजस्थान का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से काफी कम है तथा मार्च 2015 तक लगभग 1 लाख 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्र ही बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक के तहत सिंचित किया जा सका है। महंगे संयंत्र, जागरूकता की कमी, कम बागान क्षेत्र, तकनीकी जानकारी का अभाव, तकनीकी रूप से सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क की कमी तथा संयंत्र रख-रखाव की जानकारी का अभाव आदि बूंद-बूंद सिंचाई की न्यून प्रगति के प्रमुख कारण रहे हैं।

बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली जो कि जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति के दृष्टिकोण से माइक्रो इरीगेशन योजना की अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तकनीक है, अभी तक राज्य में वांछित गति नहीं प्राप्त कर सकी हैं। समय की आवश्यकता है कि बूंद-बूंद सिंचाई क्षेत्रफल में व्यापक रूप से वृद्धि हों।

(अ) बूंद-बूंद सिंचाई पद्धतियाँ:

- ड्रिप सिंचाई:** ड्रिप सिंचाई में पाईपों के नैटवर्क (मेन, सबमेन तथा लेटरल) पर लगे उत्सर्जक (एमिटर) के माध्यम से पौधों की जड़ वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उत्सर्जक डिवाइस में ड्रिपर, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी-स्प्रिंकलर, माइक्रो-जेट, मिस्टर्स, फैन-जेट, माइक्रो-स्प्रेयर, फोगर्स आदि हो सकते हैं जो निर्धारित मात्रा में पानी प्रवाह के लिए तैयार किए जाते हैं। विभिन्न उत्सर्जक (एमिटर) का उपयोग विशिष्ट जरूरत पर निर्भर करता है जो फसल-दर-फसल अलग-अलग होता है। जल आवश्यकता, पौधे की आयु, पौधों की परस्पर दूरी, मृदा की किस्म, जल गुणवत्ता तथा उपलब्धता आदि कुछ ऐसे घटक हैं जो उत्सर्जन (एमिटिंग) प्रणाली के विकल्प को निर्धारित करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की यूनिट लागत पौधे की दूरी तथा जल स्रोत के स्थान पर अलग-अलग होती है।
- सूक्ष्म (माइक्रो) स्प्रिंकलर (3 मीटर त्रिज्या तक की दूरी तक प्रवाह):** सूक्ष्म स्प्रिंकलर का उपयोग ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों, उद्यानिकी पौधों को ठोस व मजबूत करने तथा कुछ चुनी सब्जियों के लिए सिंचाई हेतु किया जाता है। सिंचाई प्रदान करने के अलावा सूक्ष्म स्प्रिंकलर से पौधे के नजदीक की सूक्ष्म जलवायु को परिवर्तित करने में मदद मिलती है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का त्रिज्या क्षेत्र कम होता है तथा स्प्रिंकलर के बहाव की त्रिज्या 3 मीटर

तक जाती है। सूक्ष्म सिप्रिंकलर का बहाव 20 से 150 ली./घण्टा होता है। सूक्ष्म सिप्रिंकलर का चयन फसल, मृदा की किस्म आदि पर निर्भर करता है।

- 3. मिनी सिप्रिंकलर (3 – 10 मी. त्रिज्या दूरी तक प्रवाह):** मिनी सिप्रिंकलर एक मध्यम दूरी की सिप्रिंकलर प्रणाली है जिसकी त्रिज्या 3 मी. से 10 मी. के बीच है। इन सिप्रिंकलरों से प्रवाह 150 से 600 ली./घण्टा के बीच होता है। निकट उगाई जाने वाली फसलों में इसका सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है जैसे मूंगफली, आलू, प्याज, अदरक, चारा फसले आदि। मिनी सिप्रिंकलर पाले से बचाव के लिए भी उपयुक्त है।

सूक्ष्म सिप्रिंकलर और मिनी सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली ड्रिप प्रणाली से अलग है क्योंकि इसकी उत्सर्जन प्रणाली राईजर एवं स्टेक्स की मदद से जमीन के उपर लगी होती है। इसका उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है और इसकी परिधि में आने वाली सभी खड़ी फसलों की इससे सिंचाई की जा सकती है। तदानुसार, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की यूनिट लागत की तुलना में सूक्ष्म सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत काफी ज्यादा होती है। अतः सामग्री के बिल के साथ-साथ खेत में स्थापित उपकरण की जांच के द्वारा ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म तथा मिनी सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए अनुदान क्रियान्वयन करते समय क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्ण सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।

(ब) फव्वारा सिंचाई पद्धतियों: (12–18 मी.)

फव्वारा सिंचाई में पानी को उच्च घनत्व वाली पॉलीथलीन (एचडीपीई) पाईप में लगी नोजल्स के द्वारा हवा में दबाव के साथ छोड़ा जाता है। यह सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है जहां पौधों की सघनता काफी ज्यादा होती है। अनाज, दाल, बीज, मसाला तथा अन्य फील्ड फसलों के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- 1. पोर्टेबल सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली:** पोर्टेबल सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में एचडीपीई पाईप का उपयोग किया जाता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार की सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में पानी को 12 मी. से 18 मी. तक फेंका जा सकता है इसमें 1200 से 1800 ली./घण्टा प्रवाह होता है। इसका उपयोग मैदानी तथा लहरदार दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- 2. अर्ध-स्थायी सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली:** इस प्रकार की सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में मेनलाईन तथा लैटरल लाईन के पाईप नेटवर्क को लैटरल लाईन पर लगे राईजर के साथ लगा दिया जाता है। सिप्रिंकलर नोजल को प्रत्येक राईजर पाईप पर लगाया जाता है और इसे फसल को पानी जरूरत के अनुसार सिंचाई वाले जरूरी स्थान में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है।
- 3. अधिक घनफल वाली सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन):** अधिक घनफल वाली सिप्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन) का उपयोग वहां किया जाता है जहां एक या दो सिप्रिंकलर से विशाल क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। इन सिप्रिंकलरों के बहाव की दूरी 10,000 से 32,000 ली./घण्टा और पानी फेंकने की त्रिज्या 24 मीटर से 36 मीटर होती है। चूंकि इस प्रणाली में विशाल क्षेत्र शामिल होता है। अतः इन्हें चलाने के लिए उच्च दबाव तथा उच्च बहाव वाले पाईप तथा पम्प की जरूरत होती है। इनके इस्तेमाल से कम समय में विशाल क्षेत्रों में फैली फसल की सिंचाई की जाती है।

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान हेतु क्रियान्वयन दिशा-निर्देश वर्ष 2015-16

अ. सामान्य

- वर्ष 2005-06 से प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रवर्तित "सूक्ष्म सिंचाई योजना" का दर्जा बढ़ाकर इसे 12 वीं योजना अवधि में वर्ष 2015-16 के दौरान "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS)" के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा जारी नम्ब्रा के अन्तर्गत ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की परिचालन मार्ग-दर्शिका (2014-15) उनकी वेबसाइट agricoop.nic.in पर उपलब्ध है। वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त होना शेष है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना का ढाँचा

- राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन व प्रबोधन शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14)प्र.सु./अनु-3/2014/1 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा राज्य स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि है।
- योजना जिला स्तर पर शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14)प्र.सु./अनु-3/2014/८ दिनांक 30.05.2014 के द्वारा जिला स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जिला मिशन कमेटी का गठन किया गया है। संबंधित जिले के जिला मिशन कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे।
- जिला मिशन कमेटी द्वारा जिला कार्ययोजना, योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण हेतु समन्वयन, भौतिक/ वित्तीय प्रगति की निगरानी व समीक्षा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण तथा प्रत्येक माह की 2 तारीख तक प्रगति भिजवाना आदि कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिला मिशन कमेटी की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी। जिला मिशन कमेटी द्वारा ब्लॉक और ग्राम स्तर पर योजना का विभिन्न माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।
- राज्य कार्य योजना के संकलन के लिये राज्य स्तरीय कमेटी (SLC) को जिला मिशन कमेटी (DMC) द्वारा जिला वार्षिक कार्य योजना (निर्धारित प्रपत्र में) अग्रेषित की जावेगी जिसे कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

- योजना का समस्त क्रियान्वयन एवं कोष कार्यालय के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान दिशा-निर्देशानुसार जिले के सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
- जिले के लिये निर्धारित लक्ष्यों को कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये फसल चयन, प्राथमिकता क्षेत्र चयन, लाभार्थी चयन तथा नीतिगत निर्णयों हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे। लाभार्थी के चयन में पूर्ण पारदर्शिता रखी जावे।
- संबंधित क्षेत्र के खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषि/उद्यान योजना के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण व समन्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे। सम्भाग स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

10. राज्य स्तर पर उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता फर्मस से ड्रिप/ फव्वारा/ सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने पर ही कृषक को अनुदान दिया जा सकेगा।
11. जिले के केन्द्रीयशांश वार्षिक परिव्यय की 2 प्रतिशत राशि तक जिला स्तर पर DMC के अनुमोदन पर सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा योजना की मॉनिटरिंग/मिशन मैनेजमेंट/प्रबोधन कार्य हेतु काम में ली जा सकेगी तथा 3 प्रतिशत राशि राज्य स्तर पर उक्त कार्यों के लिए उपयोग में ली जावेंगी। जिलों में योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से संपादित किया जा रहा है अतः उक्त राशि का उपयोग दोनों विभागों द्वारा व्यय की गई राशि के अनुसार किया जा सकेगा। अलग-अलग राशि का निर्धारण DMC द्वारा किया जावेगा।
12. ड्रिप व फव्वारा सिंचाई पद्धति कृषक की आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की फसलों में लगाई जा सकती है तथापि, फव्वारा सिंचाई प्रणाली के लिये सहायता सिर्फ उन फसलों के मामलों में दी जाएगी जहां ड्रिप सिंचाई किफायती नहीं होती है।
13. फव्वारा संयंत्रों हेतु देय अनुदान के तहत रेनगन पर भी अनुदान देय होगा तथा ड्रिप संयंत्रों हेतु देय अनुदान के तहत मिनी/माइक्रो स्पिंकलर पर भी अनुदान देय होगा।

ब. अनुदान की पात्रता

1. कृषकों को फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान नकद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने पर दोनों ही स्थिति में देय होगा।
2. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुएं पर विद्युत/डीजल/ सौर /ट्रैक्टर चालित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती कुएं पर अलग-अलग पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है।
3. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बांध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान देय होगा। नहरी क्षेत्रों में खाले (Water course)/डिग्गी तथा अन्य क्षेत्रों में जल संग्रहण ढांचे से सिंचाई हेतु भी फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान देय होगा।
4. जिस लाभार्थी के पास स्वयं का जल का स्रोत नहीं है, तब पड़ोसी लाभार्थी से सिंचाई के स्रोत की साझेदारी हेतु जल करार जिनसे वह पानी लेने का इच्छुक है, प्रस्तुत करना होगा।
5. जमाबंदी की नकल अथवा पासबुक की छाया प्रति मान्य होगी। आवेदन पत्र पर लाभार्थी का पासपोर्ट साईज प्रमाणित फोटो लगवाया जावे।
6. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर कुल 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा में अनुदान सीमित रखा जायेगा। जिन कृषकों ने 5 हैक्टेयर से कम क्षेत्र हेतु पूर्व में अनुदान लिया है उन्हें 5 हैक्टेयर तक की सीमा में विस्तार हेतु अनुदान दिया जा सकता है।
7. जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई के लिये केन्द्रीय अनुदान लाभ पहले ही ले लिया है वह उसी भूमि पर सिंचाई प्रणाली की अनुमानित आयु अर्थात् 10 वर्ष की समाप्ति के बाद ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
8. जिन कृषकों ने पूर्व में ड्रिप/फव्वारा पर अनुदान ले रखा है एवं क्षेत्र विस्तार के तहत अनुदान हेतु आवेदन किया है ऐसे कृषकों के लिए इस वर्ष की देय अनुदान राशि से ही गणना की जानी है। अनुदान वांछित मॉडल हेतु देय अनुदान के अनुसार ही देय होगा।

लाभार्थी श्रेणी

9. योजना में सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे लेकिन कम से कम 50 प्रतिशत कृषक लघु, सीमान्त एवं महिला श्रेणी के अन्तर्गत होने चाहिए, जिसमें 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। **महिला लाभार्थियों हेतु कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान आवश्यक होगा।** कुल आवंटन का 16.2 प्रतिशत एससीपी तथा 8 प्रतिशत टी एस पी के लिये निर्धारित किया जायेगा। अनु. जाति/ अनु. जनजाति किसानों का आवंटन जिले की जनसंख्या में इनके अनुपात के अनुसार किया जावे। **विकलांग आवेदकों की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी की जावे।**
10. लघु और सीमान्त किसान के मापदण्डों का सख्ती से अनुसरण किया जाएगा अर्थात् सीमांत (1.0 है. क्षेत्र तक भूमि स्वामित्व) तथा लघु (1.0 से 2.0 है. क्षेत्र तक भूमि स्वामित्व)। लाभार्थी / किसान की होल्डिंग के आकार का निर्धारण या प्रमाणन स्वयं के संज्ञान/प्राधिकृत स्थानीय राजस्व कार्मिकों द्वारा की जाएगी।
11. कृषक द्वारा नियत क्षेत्र सीमा में फव्वारा कार्यक्रम के तहत अनुदान लिये जाने के पश्चात् ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान मांगे जाने पर वांछित क्षेत्र पर फव्वारा हेतु पूर्व में दिये गये अनुदान की राशि ड्रिप हेतु देय अनुदान राशि में से घटाते हुए अनुदान जारी किया जा सकेगा।

तकनीकी मापदण्ड

12. कृषकों को बी.आई.एस. मार्का फव्वारा/ड्रिप संयंत्र विभाग द्वारा किसी भी पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक से निर्धारित मापदण्ड के संयंत्र क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही अनुदान देय होगा। बी.आई.एस. मानकों की सूची संलग्न है। लाभार्थी किसी भी पंजीकृत निर्माता से एमआई उपकरण खरीद के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. ड्रिप सिंचाई प्रकरण में ड्रिप के आवश्यक घटकों यथा फिल्टर, उर्वरक टैंक/पम्प/वेंचुअरी के अभाव में अनुदान देय नहीं होगा।
14. फव्वारा संयंत्र द्वारा ढ0.4, झ0.4-1, झ1-2, झ2-3, झ3-4 व झ4-5 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने हेतु क्रमशः 0.4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 व 5.0 हैक्टेयर मॉडल के फव्वारा संयंत्र की आवश्यकता होती है। अतः उक्त उल्लेखित भू-स्वामित्व के कृषकों को उसके अनुरूप वांछित फव्वारा संयंत्र पर अनुदान दिया जा सकेगा।
15. ड्रिप संयंत्रों में तकनीकी रूप से वांछित उर्वरक टैंक, सेण्ड फिल्टर/मीडिया फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर स्थापित करने पर भी नियमानुसार अनुदान देय होगा। **वैनच्युरी,सेण्ड फिल्टर/मीडिया फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर आदि भारतीय मानक ब्यूरी के मानक के तहत ही आपूर्ति की जानी वांछित है।** उक्त संयंत्रों की सांकेतिक इकाई लागत अनुदान गणना हेतु संलग्न है।
16. विभिन्न सिंचाई प्रणाली हेतु जारी सांकेतिक घटकों की संख्या/मात्रा में खेत व सिंचाई स्रोत के मध्यनजर बदलाव आ सकता है। उदाहरण के तौर पर फव्वारा के सांकेतिक घटकों में बैण्ड/एंडकैप निर्धारित संख्या दो के स्थान पर तीन या एक क्रय करने पर भी अनुदान देय होगा। इसी प्रकार ड्रिप संयंत्र प्रणाली हेतु मेन/सबमेन पाईप लाईन व लेटरल की लम्बाई में बदलाव आ सकता है। तथापि, सांकेतिक घटक में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी/ कमी की स्थिति में सम्बन्धित निर्माता के तकनीकी कर्मी (अभियन्ता/ शष्य विज्ञानी) के स्तर से स्पष्ट तकनीकी कारणों का खुलासा संयंत्र डिजाईन डॉक्यूमेंट्स में किया जावेगा।
17. न्यून अंतराल फसलों में अधिकाधिक प्रकाश संश्लेषण के मध्यनजर यथासंभव ड्रिप लेटरल का ओरियंटेशन उत्तर-दक्षिण रखा जावे।

डाक्यूमेंटेशन

18. राज्य स्तर पर पंजीकृत निर्माताओं द्वारा जिले के अधिकृत विक्रेताओं/वितरकों की सूची संबंधित जिला अधिकारियों को उपलब्ध करवायी जावेगी।
19. राज्य स्तर पर पंजीकृत निर्माताओं द्वारा जिले में अधिकृत विक्रेता/वितरक के पास उपलब्ध स्टॉक (वर्ष 2014-15 में निर्मित स्टॉक को सम्मिलित करते हुए), जिलों को भेजे गये सूक्ष्म सिंचाई हेतु संबंधित अवयवों की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संबंधित जिला अधिकारियों को उपलब्ध करायेगें।
20. अनुदान हेतु वांछित बिल में कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा वैधानिक व्यावसायिक विवरण अर्थात् बिल पर छपी क्रम संख्या, सीएसटी/एलएसटी/टीआईएन संख्या आदि के साथ उचित इनवॉइस सुनिश्चित करेंगे तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर लाभार्थी को जारी किया जायेगा।
21. बिल में बैच नम्बर (जिसमें निर्मित वर्ष का उल्लेख हो) का अंकन अनिवार्य होगा। बिल में सभी कम्पोनेंट्स जिनके बीआईएस नम्बर हैं, पृथक-पृथक अंकित होना आवश्यक हैं। संयंत्र के प्रत्येक अवयवों पर बैच नम्बर/बीआईएस नम्बर का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है।
22. बिल/इनवॉइस में आपूर्तिकर्ता द्वारा फिटिंग्स एवं एसेसरीज का स्पष्ट खुलासा किया जाना आवश्यक होगा। **ड्रिप संयंत्रों की बिलिंग गत वर्ष की भांति एकरूपता हेतु प्रपत्र 22 के अनुसार समस्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिल/इनवॉइस प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसी अनुरूप फव्वारा संयंत्रों की बिलिंग भी गत वर्ष की भांति प्रपत्र 22.1 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।**
23. अनुदान पत्रावलियों के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज-
 - आवेदन पत्र मय लाभार्थी की पासपोर्ट साईज प्रमाणित फोटो
 - भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व)
 - बिजली का बिल/पम्प सैट क्रय बिल/ जल करार (सिंचाई स्रोत)
 - पंजीकृत निर्माता का संयंत्र क्रय बिल/प्रोफार्मा इनवॉइस (वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संयंत्र का प्रिंटेड बिल)
 - पंजीकृत निर्माता/उसके द्वारा अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल मय अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र
 - मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट एवं डिजाइन (केवल ड्रिप संयंत्र हेतु)
 - संयंत्र स्थापन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए सैट को बेचान/दान/उधार अथवा खुर्द-बुर्द नहीं करने एवं स्थापन के पश्चात् पाँच वर्ष के दौरान कृषि/उद्यान/अन्य राजकीय विभाग के किसी अधिकारी द्वारा सैट के सत्यापन/निरीक्षण की सहमति बाबत सादे कागज पर शपथ-पत्र/अंडर टेकिंग।
 - इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उसे अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य (यदि अलग नहीं है) को भारत सरकार की योजना के तहत ड्रिप/स्प्रिंकलर के लिए वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है।
 - स्थापित संयंत्र के अनुरूप बनाया गया नक्शा।
 - यदि उसके पास अपना /अपने खेत /प्लाट, जिसके लिए वित्तीय सहायता ली जा रही है, में जल का स्रोत नहीं है, तब पड़ोसी लाभार्थी से सिंचाई के स्रोत की साझेदारी हेतु जल करार जिनसे वह पानी लेने का/की इच्छुक है।
 - त्रि-पार्टी अनुबंध गत वर्ष की भांति
24. **लाभार्थी/ आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से पूर्ण दस्तावेजों के साथ राजस्थान सरकार के पोर्टल SSDG.gov.in पद पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।**

अन्य

25. **ड्रिप रेपर** – फसल कटाई उपरांत अन्तःशस्य कार्य हेतु ड्रिप लेटरल को लाभार्थी द्वारा इकट्ठा किया जाता है। उचित जानकारी एवं उपकरण के अभाव में एकत्रित ड्रिप लेटरल में कट लगने के कारण इसकी आयु कम हो जाती है। अतः 2 हैक्टेयर से अधिक स्थापित न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों के साथ ड्रिप रेपर मशीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।
26. ड्रिप संयंत्रों पर प्रेशर गेज आवश्यक रूप से स्थापित किया जावें। डिजाईन की आवश्यकता अनुसार ऐयर प्रेशर रिलीज वाल्व भी स्थापित किये जावें।
27. न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों में डिस्क फिल्टर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जावें।
28. **ड्रिप सिंचाई पद्धति का बीमा** – संयंत्र बीमा के इच्छुक कृषकों को आपूर्तिकर्ता/विभागीय कार्मिकों द्वारा उचित सलाह प्रदान की जावे।

स. आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया

1. कृषक चयन

- 1.1 उद्यान/कृषि विभाग के अधिकारी, संयंत्र आपूर्तिकर्ता तथा अन्य संबंधित संस्थाएँ सहायक/उप निदेशक उद्यान के माध्यम से अपने क्षेत्र में अधिसक्रिय (Proactive) रूप से प्रगतिशील व संभाव्य कृषकों का चयन करेंगे।
- 1.2 पंजीकृत संयंत्र निर्माताओं द्वारा संभाव्य कृषकों से सम्पर्क किया जाकर आवेदन पत्र ऑनलाइन तैयार कराये जायेंगे। (Annexure -11)
- 1.3 कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान/कृषि, बैंक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं/अधिकृत डीलर के पास आवेदन प्रपत्र उपलब्धता को सहा./उपनिदेशक उद्यान सुनिश्चित करेंगे परन्तु विभागीय वेबसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in पर भी आवेदन-पत्र उपलब्ध होंगे।
- 1.4 उद्यान/कृषि विभाग के कार्मिकों/पंजीकृत फव्वारा/ड्रिप निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत वितरकों/एजेंटों द्वारा कृषकों को आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये जाकर उनकी पत्रावलियां तैयार की जाकर ऑनलाइन स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।
- 1.5 ऑन-लाईन अनुदान भुगतान के मध्यनजर कृषक आवेदन-पत्र में संबंधित लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता के बैंक अकाउण्ट का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जावे।
- 1.6 कृषक द्वारा संयंत्र स्थापन के दोनों ही विकल्प यथा स्वयं के संसाधन (अऋणी) या बैंक ऋण (ऋणी) उपलब्ध रहेंगे।

2. पंजीकरण एवं आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण

- 2.1 कृषक या संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ण आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक कागजात जैसे- भू-स्वामित्व, सिंचाई स्रोत का प्रमाण-पत्र, जल उपयोग सहमति इत्यादि बून्द-बून्द सिंचाई संयंत्रों में संबंधित सहा./उप निदेशक उद्यान को तथा फव्वारा संयंत्रों के लिए संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.) प्रेषित किया जावेगा।
- 2.2 संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को आवेदन पत्र तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जावेगा। बैंक ऋण के प्रकरण में आवेदन पत्र के साथ बैंक द्वारा जारी NOC प्रस्तुत की जावेगी।
- 2.3 कृषक पत्रावली की सम्बन्धित द्वारा प्राप्ति रसीद प्रदान की जावेगी।
- 2.4 आवेदन पत्रों का संबंधित स्तर पर प्राप्ति दिवस को संधारित पंजिका में पंजीकरण किया जावेगा। सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राथमिकता सूक्ष्म परीक्षण (जांच) किया जावेगा।
- 2.5 फव्वारा एवं रैनगन के ऑनलाइन द्वारा आवेदन किये गये आवेदन पत्रों का सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (वि.) तथा ड्रिप एवं माईक्रो/मिनी स्पिंकलर की पत्रावलियां उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा पंजीकृत की जावेगी। सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा साप्ताहिक रूप से पंजीकृत फव्वारा पत्रावलियों की सूचना जिला स्तरीय अधिकारी उद्यान को प्रेषित की जावेगी जिसका संधारण उनके स्तर पर किया जावेगा।

3. तकनीकी-आर्थिक सर्वे

3.1 उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा संबंधित संयंत्र आपूर्तिकर्ता को खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण (अनुमोदित/अधिकृत परीक्षण शाला द्वारा एक सप्ताह में प्राथमिकता से रिपोर्ट प्रदान की जावेगी) तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र का रूप-रेखा (डिजाइन) तैयार करने हेतु सूचित किया जावेगा।

3.2 कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाइन) के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये जावेंगे। इसके पश्चात् तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा तथा पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की जावेगी।

3.3 संयंत्र आपूर्ति कर्ता जल गुणवत्ता के आधार पर यथोचित फिल्टर चुनाव कर डिजायन में समावेश सुनिश्चित करेंगे।

4. आवेदन अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कृषक हिस्सा राशि संग्रहण

4.1 पात्र प्रकरण आपूर्तिकर्ता के कॉटेशन के साथ सहायक/उप निदेशक उद्यान (ड्रिप प्रकरण)/ सहायक निदेशक कृषि (वि.) (फव्वारा प्रकरण) को भिजवाये जावेंगे। ऋणी प्रकरण संबंधित बैंक की सहमति के साथ बैंक के माध्यम से भेजे जावेंगे।

4.2 सहायक/उप निदेशक उद्यान (ड्रिप प्रकरण)/ सहायक निदेशक कृषि (वि.) (फव्वारा प्रकरण) द्वारा आवेदन का अनुमोदन किया जाकर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना हेतु लक्ष्यों की सीमा में ऑनलाइन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। फव्वारा/रेनगन संयंत्र की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जारी की जावेगी।

4.3 प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना तत्दिवस ई-मेल द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता तथा सहायक/उपनिदेशक उद्यान को प्रेषित की जावेगी ताकि निश्चित समयावधि के दौरान संयंत्र स्थापन की मॉनीटरिंग की जा सके।

4.4 अपात्र प्रार्थना पत्रों को निरस्त किये जाकर सम्बन्धित को ऑनलाइन/पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। अऋणी प्रकरणों में संबंधित आपूर्तिकर्ता या सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा कृषक हिस्सा राशि एकत्र की जावेगी, जिसकी प्राप्ति रसीद मुहैया करायी जायेगी। ऋणी प्रकरणों में संबंधित बैंक को प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति ऋण कार्यवाही शुरू करने हेतु सूचना के रूप में प्रेषित की जावेगी।

4.5 योजना के तहत समस्त प्रकरणों में संयंत्र स्थापना से पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

4.6 न्यून अंतराल ड्रिप सिंचाई संयंत्रों पर बड़ी अनुदान राशि जारी की जाती है। 2 हैक्टेयर से अधिक न्यून अंतराल ड्रिप स्वीकृति प्रकरणों का निस्तारण तर्क संगत आधार पर किये जाने के मध्येनजर समस्त स्टेक होल्डर्स (यथा लाभार्थी, आपूर्तिकर्ता, तकनीकी अधिकारी एवं विभागीय स्तर) का शपथ पत्र /संस्तुति / अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र (Annexure 27) पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.7 प्रत्येक सूक्ष्म सिंचाई प्रकरण की पात्र पत्रावलियों के पक्ष में निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक आवश्यक रूप से 15 दिवस की समयावधि में प्रशासनिक स्वीकृति जारी जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 21 दिवस की समयावधि में संयंत्र स्थापित न करने वाले आपूर्तिकर्ता व सम्बन्धित कृषक को सूचित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति निरस्ती की कार्यवाही की जावे।

5. अनुबंध, अग्रिम भुगतान एवं संयंत्र स्थापना

5.1 प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त सहायक/उप निदेशक उद्यान., संयंत्र आपूर्तिकर्ता तथा संबंधित कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर त्रि-पार्टी अनुबंध संपन्न किया जावेगा।

5.2 कृषक हिस्सा राशि आपूर्तिकर्ता द्वारा एकत्र की जाकर दो प्रतियों में रसीद देगा जो एक कृषक के पास व एक संबंधित सहायक/उप निदेशक उद्यान को दी जावेगी तथा इसी राशि को अग्रिम भुगतान माना जावेगा।

- 5.3 प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति के 21 दिवस समयावधि में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र सामान की आपूर्ति की जाकर संयंत्र स्थापित किया जावेगा।
- 5.4 एक माह की अवधि से ज्यादा विलंब की स्थिति में संबंधित कृषक किसी अन्य अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से संयंत्र स्थापन करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। विलंब अवधि त्रि-पार्टी अनुबंध के दिवस से ही लागू मानी जावेगी।
- 5.5 विलम्ब के लिए उत्तरदायी आपूर्तिकर्ता की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त करते हुए सूचना अविलम्ब उद्यान आयुक्तालय को देनी होगी।
- 5.6 कृषक द्वारा खुदाई व अन्य निर्माण संबंधित कार्य सम्पन्न करवाये जायेंगे।
- 5.7 संयंत्र स्थापन कार्य पूर्ण होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित सहायक/उप निदेशक उद्यान को सूचित किया जावेगा।
- 5.8 प्रायः हेड कन्ट्रोल यूनिट की पक्की फाउण्डेशन नहीं की जाती है। संयंत्र की लम्बी आयु हेतु पक्के फाउण्डेशन आवश्यक है। अतः ड्रिप संयंत्रों के स्थापन में लाभार्थी स्तर से पक्का फाउण्डेशन कार्य अनिवार्य होगा। हेड कन्ट्रोल यूनिट के चारों तरफ यथा संभव तारबन्दी की जावे ताकि जानवरों इत्यादि से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

6. भौतिक सत्यापन

- 6.1 कृषकों के खेत पर फव्वारा संयंत्र स्थापित होने के बाद संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक, कृषि या सहायक कृषि अधिकारी या कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा व ड्रिप संयंत्र हेतु संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान या कृषि अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- 6.2 संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ण संयंत्र स्थापन की सूचना संबंधित सहायक/उप निदेशक उद्यान को लिखित (यथासंभव ई-मेल द्वारा) में प्रेषित की जावेगी ताकि सहायक/उप निदेशक उद्यान या अन्य अधिकृत संस्था द्वारा सात दिवस में भौतिक सत्यापन के साथ प्रायोगिक परीक्षण पूर्ण किया जा सके।
- 6.3 संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि भौतिक सत्यापन के दौरान खोदी गई खाई उक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थानों पर खुली रखी जावे। भौतिक सत्यापन व प्रायोगिक परीक्षण के दौरान स्वयं की संतुष्टि हेतु संबंधित कृषक स्वयं उपस्थित रहेगा। कृषक के खेत पर लगाया गया संयंत्र भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लेखित कम्पोनेन्ट के अनुसार होना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षण पश्चात् संबंधित कृषक द्वारा संयंत्र अपने कब्जे में लिया जावेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र संबंधित संयंत्र आपूर्तिकर्ता को जारी किया जावेगा।
- 6.4 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में आवेदन पत्र पर मौके पर ही रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन कर्ता का नाम, पदनाम, निरीक्षण दिनांक, फव्वारा/ड्रिप सैट में प्रयुक्त होने वाले कम्पोनेन्ट्स के मैन्यूफैक्चरिंग बैच नम्बर, कम्पनी का ISI मार्का नम्बर, सी.एम.एल. नम्बर, कम्पनी का ब्रांड नाम/मैक तथा कृषक द्वारा पूर्व में फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान नहीं दिये जाने का प्रमाणपत्र अंकित कर आवेदन पत्र कृषक अथवा निर्माता अथवा उसके अधिकृत विक्रेता को दे दी जावेगी।
- 6.5 भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में फव्वारा/ड्रिप संयंत्र स्थापित कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। अतः भौतिक सत्यापन उद्देश्य पूरक होना चाहिए न कि प्रक्रियात्मक।
- 6.6 भौतिक सत्यापन पूर्ण उत्तरदायित्व से किया जाना अपेक्षित है। ड्रिप / मिनी/माइक्रो सिप्रिंकलर संयंत्रों के प्रकरणों में संयंत्र मय कृषक फोटो प्रस्तुत किया जावे।
- 6.7 फव्वारा संयंत्रों के संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन व प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन करवाये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे प्रकरण में सहायक निदेशक उद्यान मात्र भुगतान अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

- 6.8 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संबंधित खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित करके रेन्डम आधार पर 2 से 5 प्रतिशत संयंत्रों का पुर्नभौतिक सत्यापन करवाया जावेगा।
- 6.9 संबंधित खण्ड स्तरीय कृषि/उद्यान विभाग द्वारा भी रेन्डम आधार पर अपने क्षेत्र के कम से कम 5 से 10 प्रतिशत संयंत्रों का पुर्नभौतिक सत्यापन किया जावेगा।
- 6.10 रेन्डम आधार पर किये गये पुर्नभौतिक सत्यापन के दौरान कार्यक्रम क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पायी गयी अनुकूल/ प्रतिकूल स्थितियों की टिप्पणी सम्बन्धित खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषि/उद्यान द्वारा उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जावेगी।
- 6.11 उद्यान आयुक्तालय स्तर पर गठित दल द्वारा कार्यक्रम का आवश्यकतानुसार समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा।
- 6.12 यह पाया गया है कि कतिपय भौतिक सत्यापन अधिकारियों द्वारा प्रायः पत्रावली के साथ प्रस्तुत डिजाईन मैप के अनुरूप सत्यापन नहीं किया जाता है। अतः भौतिक सत्यापन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि भौतिक सत्यापन के समय आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिजायन मैप आवश्यक रूप से साथ रखा जावे तथा मैप में इंगित अनुसार समस्त आईटम फील्ड में पाया जाना सुनिश्चित किया जावे। ड्रिप स्थापन के वर्क मैनिशप (हेड कन्ट्रोल यूनिट/ कन्ट्रोल वॉल्व/पलस वॉल्व की उचित फिटिंग, ट्रेन्च पूरी तरह मिट्टी से पुनः भरा जाना) पर विशेष ध्यान दिया जावे।
- 6.13 डिजाईन मैप तैयार करने का कार्य निर्माता के अधिकृत एग्रोनोमिस्ट या इंजिनियर द्वारा ही तैयार किया जाना अनिवार्य है। डिजायन पर सम्बन्धित डिजायनकर्ता का नाम मय योग्यता (eg. MSc Ag. Agro./ B tech Ag. Etc.) अंकित की जावे। डिजाईन हेतु प्राधिकृत इंजीनियर/एग्रोनोमिस्ट के प्रमाणित हस्ताक्षर निर्माता स्तर से जिला ईकाई को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। डिजाईन चार्ट/ मैप में एकरूपता लाये जाने के मध्येनजर विभाग द्वारा अग्रेषित सैम्पल डिजायन मैप (Annexure 28) के अनुसार समस्त आपूर्तिकर्ता डिजायन मैप प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

7. अंतिम भुगतान

- 7.1 स्थापित फव्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् पत्रावली संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा सहायक/उप निदेशक उद्यान को अग्रेषित की जावेगी। सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध बजट सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाइन द्वारा जारी किया जावेगा।
- 7.2 ड्रिप / मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्रों के प्रकरणों में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को जारी कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा। सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर संयंत्र आपूर्तिकर्ता को अर्हणी प्रकरणों में शेष देय अनुदान राशि का भुगतान किया जावेगा। ऋणी प्रकरणों में सहायक/उप निदेशक उद्यान /संबंधित बैंक द्वारा शेष अनुदान राशि का भुगतान किया जावेगा।
- 7.3 फव्वारा संयंत्रों पर देय अनुदान का भुगतान संबंधित निर्माता के बजाय संबंधित कृषक को किया जायेगा। ड्रिप संयंत्र में देय अनुदान कृषक की लिखित अभिशंषा के आधार पर संबंधित कृषक स्वयं या आपूर्तिकर्ता (डीलर/निर्माता) को किया जावेगा।
- 7.4 भुगतान से पूर्व भौतिक सत्यापन सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे। बिलिंग क्षेत्र सीमा से कम क्षेत्र में भौतिक सत्यापन के दौरान संयंत्र स्थापन पाये जाने की स्थिति में अनुदान भुगतान न किया जावे तथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा संबंधित निर्माता कम्पनी के विरुद्ध विभाग द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण/अमानत राशि की जब्ति आदि की कार्यवाही संबंधित फर्म को अध्यक्ष आरएचडीएस के समक्ष सुनवाई का अवसर देने के बाद उनके द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अमल में लायी जावेगी।

7.5 भुगतान लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता को कोषालय भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे।

8. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षण,संचालन व नक्शा सुपुर्दगी

(प) संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को खेत में स्थापित संयंत्र के अनुरूप बनाया गया नक्शा सुपुर्द किया जावेगा। नक्शों में हैड कंट्रोल यूनिट, जल धारक व वितरण प्रणाली, पाईप लाईन, विभिन्न वाल्व की स्थिति, जोड़ व अन्य अवयवों की पूर्ण स्थिति दर्शाई जावेगी। इसके साथ-साथ सिंचाई व उर्वरकीकरण समय-सारणी, सभी फसलों जिनके लिए डिजाईन तैयार की गई है उनकी तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन की प्रति एवं संयंत्र के रख-रखाव समय-सारणी का साहित्य भी संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त नक्शे व अन्य कागजात का व्यय संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी एक प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।

(पप) कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि संयंत्र स्थापना, उपयोगिता व संचालन की पूर्ण जानकारी आपूर्तिकर्ता/कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई है।

(पपप) संयंत्र स्थापना के बाद आपूर्तिकर्ता फर्म के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कृषक एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष संयंत्र का संचालन कर उपयोग की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।

द. अनुदान की सीमा एवं भुगतान- पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगे।

य. निर्माता पंजीकरण एवं आपूर्तिकर्ता दायित्व

निर्माताओं का पंजीकरण राज्य स्तर पर विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु संयंत्र की आपूर्ति सीधे ही निर्माता या उसके अधिकृत नेटवर्क द्वारा किया जावेगा। निर्माता द्वारा अधिकृत वितरक/डीलर के स्तर से सम्बन्धित जिले को इस बाबत सूचना प्रेषित की जावेगी तथा 100/- रु. के नोन ज्यूडिसियल पत्र पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एमआईएस की शर्तों के अध्याधीन कार्य करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा ऐसे विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सूची का संधारण पंजिका में किया जावेगा।

निर्माता /कंपनी द्वारा प्रणाली लगाई जाएगी और किसान की संतुष्टि के अनुसार इसे आरंभ किया जाएगा और निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जाएगा:-

1. फसल के अनुसार फसल की पानी की आवश्यकता की आंकलन करना जिसके लिए सिंचाई प्रणाली प्रदान की जानी है।
2. फसल की जल आवश्यकता के अनुसार प्रणाली का डिजाईन तैयार करना।
3. लागत का आंकलन तैयार करके इसे क्रियान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत करना जिसमें स्पष्ट रूप से किसान के खेत में प्रणाली स्थापित करने की समय सीमा दर्शायी गई हो।
4. किसानों के खेतों में बेहतर गुणवत्ता वाले बीआईएस प्रमाणित उपकरण लगाए जाएंगे और भुगतान करते समय क्रियान्वयन एजेंसी आपूर्ति किए गए उपकरणों के बीआईएस मानकों को सुनिश्चित करेगी।
5. स्थापित प्रणाली फसल की जल जरूरत के अनुसार प्रासंगिक होनी चाहिए।

6. जिला स्तर पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई के साथ फसल की सिंचाई के लिए अनुसरण की जाने वाली कृषि क्रियाओं हेतु किसानों को आवश्यक नवीनतम जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
7. ड्रिप तथा स्प्रिंकलर या दोनों सिंचाई प्रणालियों हेतु किसानों के पास प्रणाली को चलाने तथा इसके रख-रखाव के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल तथा उचित वारंटी होनी चाहिए।
8. लाभार्थी से प्रणाली को सफलतापूर्वक संस्थापित/आरंभ करने का प्रमाण-पत्र लिया जाए।
9. निर्माता /अधिकृत विक्रेता द्वारा कम से कम पाँच वर्ष बिक्री के बाद मुफ्त सेवा प्रदान की जायेगी। विक्रय पश्चात् सेवा के तहत निर्माताओं द्वारा अपने एग्रोनोमिस्ट फिल्ड में समय-समय पर भिजवाये जाना सुनिश्चित किया जावे। इसका प्रमाण पत्र 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में निर्माता को देना होगा अन्यथा विभाग द्वारा पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
10. निर्माता को अपने विक्रेता या डीलर द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के बारे में उत्पन्न किसी तरह के विवाद की जिम्मेदारी स्वयं निर्माता की होगी।
11. बिक्री पश्चात् सेवा केन्द्रों/कार्यालयों की सूची जिसमें पूरा पता/टेलीफोन नंबर/ई-मेल आदि का व्यापक रूप से प्रचार किया जायेगा।
12. पंजीकृत निर्माता द्वारा पंजीकरण के तत्काल पश्चात् सम्बन्धित सहायक/उप निदेशक उद्यान को अधिकृत डीलर/ एजेन्ट नेटवर्क एवं मूल्य सूची से अवगत कराना होगा। नवीन डीलर/ एजेन्ट एवं मूल्य सूची की भी तत्काल सूचना प्रेषित की जावेगी।
13. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति 250 हैक्टर या इसके अंश ड्रिप स्थापन प्रति वर्ष पर कम से कम एक तकनीकी कार्मिक (एग्रोनोमिस्ट/कृषि अभियन्ता) रखा जावेगा। क्षेत्रवार तकनीकी कार्मिकों की सूची निदेशालय के साथ-साथ सम्बन्धित सहायक/उप निदेशक उद्यान को भी प्रेषित की जावेगी। तकनीकी कार्मिकों द्वारा संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन के अलावा संयंत्र रख-रखाव तथा फसल उत्पादन सम्बन्धि जानकारीया प्रदान की जायेगी। तकनीकी कार्मिकों की सूचना जिलेवार मुख्यालय, जयपुर को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
14. आपूर्तिकर्ता डीलर द्वारा निर्माता फर्म के तकनीकी कर्मियों के माहवार भ्रमण प्रतिवेदन सम्बन्धित सहायक/उप निदेशक उद्यान को प्रस्तुत किया जावे।
15. निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संयंत्र स्थापन व विक्रय पश्चात सेवाओं का निर्वहन न करने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता डीलर व निर्माता की जिम्मेदारी तय की जाकर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। गम्भीर अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित की भुगतान प्रक्रिया रोकी जाकर काली सूची में डालने की कार्यवाही अध्यक्ष आरएचडीएस के निर्देशानुसार की जा सकेगी एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

र. PMKSY के तहत सहायता स्वीकृति के लिए जांच सूची

1. निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री बेहतर गुणवत्ता तथा बीआईएस प्रमाणित होनी चाहिए। इसके अलावा लगाए गए उपकरण पंजीकरण के दौरान निर्माता द्वारा घोषित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
2. ड्रिप लेटरल तथा उत्सर्जक का वितरण फसल अंतराल के अनुरूप होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि पौधों का जड़ वाला क्षेत्र गीला होगा।
3. लेटरल पर प्रथम तथा अंतिम उत्सर्जक के बीच पानी का प्रयोग समान होना चाहिए (10 प्रतिशत विविधता के तहत)।
4. ड्रिप सिंचाई की स्थापना और सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली से कृषक सन्तुष्ट होना चाहिए।

5. किसानों के पास प्रणाली लगाने वाले संबंधित निर्माता की उपभोक्ता पुस्तिका (यूजर्स मैनुअल) होनी चाहिए।
6. मुख्य लैटरल में घर्षण शीर्ष नुकसान मुख्य लेटरल के 1 मी./ 100 मी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

ल. अन्य

1. अनुदान राशि उद्यान आयुक्तालय स्तर से जिलों को मदवार (सामान्य, अजा, अजजा) आवंटित की जावेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में आवंटित राशि को किसी भी दशा में अन्य मद में खर्च नहीं कि जावे। **अनुदान का भुगतान कोषालय के माध्यम से होगा।**
2. स्वीकृत आवेदन पत्र का संधारण जिले में सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा जो लाभान्वित कृषकों की ग्रामवार सूची वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराई जावेगी, जिससे सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक का रिकॉर्ड आदिनांक हो जाए तथा अगले वर्ष में भौतिक सत्यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आए। वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित लाभान्वित कृषक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सी.डी. या ई-मेल द्वारा उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जावेगी।
3. जिला मिशन समिति(DMC) द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर कार्ययोजना व व्यय का अनुमोदन तथा प्रगति की समीक्षा की जावेगी।
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS) की मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में माह के अंतिम दिवस को आवश्यक रूप से ई-मेल द्वारा rajasthan_mis@rediffmail.com पर भिजवाया जावेगा।
5. योजनान्तर्गत किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में हर त्रिमाही के अंत में भिजवाया जाना आवश्यक होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जावेगा।
6. **खण्ड स्तरीय अधिकारी, उद्यान द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों की सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना उपरान्त उत्पादकता, गुणवत्ता एवं आर्थिक स्तर के बदलाव का सर्वेक्षण किया जावे। चिन्हित लाभार्थियों की सफलता की कहानी कम से कम 5 कृषक प्रति जिला आवश्यक रूप से मय फोटोग्राफ तथा सीडी के राज्य स्तर को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से आर्थिक स्तर में आये बदलाव का पूर्ण विवरण अंकित हों।**

व. ऑन-लाइन क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS) का क्रियान्वयन ऑन-लाइन किया गया है। पंजीकरण से भुगतान तक की समस्त प्रक्रियाएँ ऑन-लाइन सम्पादित की जावेगी। अतः समस्त स्टेक हॉल्डर्स की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उससे संबंधित/वांछित सूचना को निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार राजस्थान सरकार के पोर्टल SSDG.gov.in पर अपलोड करें।

